न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 96/2022

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. भगवानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि0 मण्डला तह0 सोजत जिला पाली।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं श्री गोविन्द दवे अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 04.07.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम मण्ड़ला, पटवार हल्का मण्ड़ला, भू.अ.नि.क्षेत्र अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी के पिता स्व. उम्मेदसिंह पुत्र पेफसिंह व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी कब्जाकाश्त कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 94 के खसरा सख्या 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.9300 है0 उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता उम्मेदसिंह का 3/16 हक हिस्सा खातेदारी, कब्जाकाश्त का स्थित है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में त्रुटीवश अम्बुसिंह पुत्र पेफसिंह दर्ज है तथा वर्तमान खाता संख्या 04 के खसरा सख्या 764/1, 881, 881/2, 882, 889, 889/6 कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.3100 है0 उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता उम्मेदसिंह का सम्पूर्ण हक हिस्सा खातेदारी, कब्जाकाश्त का स्थित है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में त्रुटीवश अम्बुसिंह पुत्र पेफसिंह दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व. उम्मेदसिंह पुत्र पेफसिंह जी का दिनांक 27/03/2018 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में पुत्र प्रार्थी व अन्य दो पुत्रीयें प्रकाश कंवर व छैल कंवर हुई, जिसमें से प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् उक्त बहिनो ने अपना पुश्तैनी हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में हकतर्कनामा कर दिया, जिससे अब प्रार्थी के पिता के हक हिस्से की भूमि का एकमात्र खातेदार प्रार्थी ही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता उम्मेदसिंह का नाम स्लीप ऑफ पैन व सद्भाविक त्रुटीवश वक्त इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में अम्बुसिंह दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के पिता सही व दस्तावेजी नाम उम्मेदसिंह ही है। प्रार्थी के पिता को बचपन में घर में लाड़—प्यार से अम्बुसिंह के नाम से पुकारते थे, उक्त रेकर्ड में दर्ज अम्बुसिंह व उम्मेदसिंह एक ही व्यक्ति प्रार्थी के पिता है, दोनो अलग अलग व्यक्ति नही है। प्रार्थना पत्र में अंकित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम अम्बुसिंह राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी के सही व वास्तविक दस्तावेजो का अवलोकन न कर प्रार्थी के पिता का बचपन का लाड़ प्यार से पुकारा जाने वाला नाम अम्बुसिंह अंकित कर दिया, जबकि प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी तमाम दस्तावेज में उम्मेदसिंह ही दर्जसुदा है तथा इसी प्रकार ग्राम मण्ड़ला के खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 762/2 वगैरा में प्रार्थी के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

त्रुटीवश उम्मेदसिंह के स्थान पर अम्बुसिंह दर्ज कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी के पिता द्वारा राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प मण्ड़ला में दुरस्ती हेतु आवेदन किया गया, जिस पर सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा जॉच रिपोर्ट कर अम्बुसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दर्ज किया जाना उचित बताया, जिस पर उक्त खाता संख्या 96 के सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा धारा 136 के तहत स्वीकार कर दिनांक 13/06/2016 को अम्बुसिंह पुत्र पेफसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह पुत्र पेफसिंह दुरूस्त करने के आदेश किये गये, जिस आदेश की पालना में ग्राम मण्ड़ला के नामान्तरण संख्या 913 तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत किया जाकर अम्बुसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दर्ज किया गया, जिस नामान्तरण व आवेदन व जॉच रिपोर्ट व दुरूस्ती आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीके पिता का सही व दस्तावेजी नाम उम्मेदसिंह ही है,तथा उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी का ही अपने पिता के हक हिस्से की भूमि पर उनके स्वर्गवास पश्चात् व हकतर्क से बहैसियत खातेदार के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग आज दिन तक चला आ रहा है। प्रार्थी को उपरोक्त कृषि भूमि के रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर अम्बुसिंह दर्ज होने की जानकारी पूर्व से नही थी। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में दिनांक 26/05/2022 को उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बंध में विरासत का नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु सम्बंधित पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिस पर सम्बंधित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम उम्मेदसिंह के स्थान पर अम्बुसिंह दर्ज होने की जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 31/05/2022 को प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारीयो द्वारा वक्त इन्द्राज प्रार्थी के पिता का दस्तावेजी नाम दर्ज नही कर अम्बुसिंह दर्ज कर दिया, जो कि दर्ज करने में सदभाविक त्रुटी हुई है। राजस्व कर्मचारीयो द्वारा प्रार्थी के पिता का दस्तावेजी नाम अंकित नही करने से प्रार्थी को वर्तमान में सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागो में भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है तथा कई सरकारी व अर्द्धसरकारी योजनाओं से उक्त त्रुटी की वजह से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थी उपरोक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अम्बुसिंह के स्थान पर रेकर्ड दुरस्त करवा कर उम्मेदसिंह दर्ज करवा कर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने का अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम मण्ड़ला तहसील सोजत में स्थित होने से एवम् प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एवम् क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तहसीलदार भूमि धारक होने से एवम् प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती का होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थी द्वारा मात्र अपने पिता का राजस्व रेकर्ड में अम्बुसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दुरूस्त करवाने हेतु ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उक्त दुरूस्ती से किसी भी अन्य सहखातेदार के हक हिस्से पर विपरित प्रभाव नही पड़ेगा, इसलिये उन्हें पक्षकार नही बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि ग्राम मण्ड़ला के वर्तमान खाता संख्या 94 के खसरा नम्बर 781 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा संख्या 782 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 783 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 784 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 785 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 786 रकबा 1.5600 हैक्टर, खसरा संख्या 787 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 788 रकबा 1.0100 हैक्टर कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.9300 हैक्टर में दर्ज 3/16 हक हिस्सा एवम् वर्तमान खाता संख्या 4 के खसरा नम्बर 764/1 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 881/2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 882 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 889 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 889/6 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

3100 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रेकर्ड में अम्बुसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दुरूस्त करवा कर अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 27.06.2022 को पेश कर वर्णित बिन्दु 1 को स्वीकार कर, 2 से 5 को प्रार्थी स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा 6 से 8 बिन्दु कानूनी प्रक्रिया का होना अंकित किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में प्रार्थी के पिता की दुसरे खाता संख्या 96 में प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में केम्प मण्डला में न्यायालय हाजा द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट में अन्तर्गत किये गये आदेश मय पटवाटी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या 96 में भरे गये मयूटेशन संख्या 913 की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या 96 की वर्तमान व गत जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या 94 व 04 की प्रमाणित प्रति, प्रार्थी के पिता उम्मेदसिंह का आधार कार्ड, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्तमान खाता संख्या 94 व खाता संख्या 04 में वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज अम्बुसिंह के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से उम्मेदसिंह पुत्र फेफसिंह दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजातं का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत यथा म्यूटेशन 913 दिनांक 23.02.2022 में कालम संख्या 09 में अम्बूसिंह के स्थान पर उम्मेदसिंह दर्ज सुदा है। अन्य दस्तावेजो में भी उम्मेदसिंह होने से प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा–मण्ड़ला के वर्तमान खाता संख्या 94 के खसरा नम्बर 781 रकबा 01.0000 हैक्टर, खसरा संख्या 782 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 783 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 784 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 785 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 786 रकबा 1.5600 हैक्टर, खसरा संख्या 787 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 788 रकबा 1.0100 हैक्टर कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.9300 हैक्टर में दर्ज 3/16 हक हिस्सा एवम् वर्तमान खाता संख्या 4 के खसरा नम्बर 764/1 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 881/2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 882 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 889 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 889/6 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.3100 हैक्टर की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम अम्बुसिंह पुत्र फेफसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से उम्मेदसिंह पुत्र फेफसिंह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा मण्डला तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 94 के खसरा नम्बर 781 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा संख्या 782 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 783 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

0.0200 हैक्टर, खसरा संख्या 784 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 785 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 786 रकबा 1.5600 हैक्टर, खसरा संख्या 787 रकबा 0.6300 हैक्टर, खसरा संख्या 788 रकबा 1.0100 हैक्टर कुल खसरा 08 कुल रकबा 5.9300 हैक्टर में दर्ज 3/16 हक हिस्सा एवम् वर्तमान खाता संख्या 4 के खसरा नम्बर 764/1 रकबा 0.9500 हैक्टर, खसरा संख्या 881 रकबा 0.8400 है0, खसरा संख्या 881/2 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 882 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 889 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 889/6 रकबा 0.0500 हैक्टर, कुल खसरा 06 कुल रकबा 2.3100 हैक्टर की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम अम्बुसिंह पुत्र फेफसिंह के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से उम्मेदसिंह पुत्र फेफसिंह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक **04.07.2022** को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत